अनुदान संख्या–81 (आयोजनागत
लेखाशीर्षक–2515007960201–2

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/24/2016–1/30/2016 लखनऊः दिनांक 2 अप्रैल, 2016

विषयः स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–81 आयोजनागत मद प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू0–133.19 लाख क धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या– 1 /2016/1048/33–3–2015–100(19)/2015 दिनांक 22.04.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–81 आयोजनागत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 **346.64 लाख के सापेक्ष रू0 133.19 लाख (रू0 एक करोड़ तैतीस लाख उन्नीस हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:–

1– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1 /2016/बी–1–746/दस–2016–231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्तानुसार आवंटित धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– प्रश्नगत धनराशि टी0एस0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिस सीमा तक एस0टी0 लाभार्थियों हेतु एस0टी0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

6– भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्थानुसार उक्त आवंटित धनराशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोमतीनगर, लखनऊ में उ0प्र0 स्टेट सैनीटेशन मिशन (एस0एस0एम0) के नाम से खोले गये खाता संख्या–521302010060034 आईएफ0एस0सी0 कोड यू0बी0आई0एन0–0552135 में जमा किया जायेगा।

7– भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त आवंटित धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

8– उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0.एस0पी0 के लिए योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देश के अनुसार किया जायेगा । उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत मार्ग–निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा।

SBM(G) 14,80 & 81 Allotment 16-17

9– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–81 के लेखाशीर्षक "2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–02– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–0201–स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के.60/रा.40–के.+रा.)–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायगा।

10– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008– मित–1/2007 दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

11– आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, वाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

12– उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

13– उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

14– धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–137 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार दमेले)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः1/शा0/ 24/1/2016 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
3– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
5– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– उप निदेशक(पं0) एवं जिला पंचायत राज अधिकारी(मु0), पंचायती राज निदेशालय उ0प्र0।
8– एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

SBM(G) 16, 83 & 81 Allotment 14-15

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-27/04/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-24-2016-1-30-2016
आवंटन आदेश संख्या:- 001-30-2016
अनुदान संख्या:- 81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

796 - जन जातीय क्षेत्र उपयोजना
02 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
01 - स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	13319000 13319000	13319000 13319000
	योग	वर्तमान प्रगामी	13319000 13319000	13319000 13319000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ तैंतीस लाख उनीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ तैंतीस लाख उनीस हजार

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी